



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY CURRENT AFFAIRS HINDI FILE

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : AUGUST 10, 2026



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com



ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

Table of Contents

1. नेतन्याहू ने अमेरिका की 15-बिंदु वाली गाजा शांति योजना को खारिज किया.....	2
2. लद्दाख स्वतंत्र भारत की पहली जाति जनगणना का नेतृत्व करेगा.....	4
3. केरल सरकार 'वंदे मातरम' के गायन पर जारी निर्देश वापस ले सकती है.....	6
4. विश्व आदिवासी दिवस: कोम्मु कोया सांस्कृतिक विरासत	7
5. जलवायु और भूविज्ञान के संयुक्त प्रभावों के कारण 2024 में वायनाड भूस्खलन हुआ	9
6. मक्का समझौते के साथ उभरा एक नया सुरक्षा त्रिकोण	11
7. बिना शर्त नकद हस्तांतरण (Unconditional Cash Transfers) की लागत	13
8. भारत की परिसीमन (Delimitation) बहस के दांव	14
9. केंद्र ने कहा थिएटर कमानों पर रिपोर्ट विचारधीन है	16
10. अपने पहले महीने में, VB-G RAM G में ग्रामीण नौकरियों में लगभग 50% की वार्षिक गिरावट देखी गई....	18
11. आक्रामक प्रजातियों के कारण भारत की पहली मछुआरा-संचालित उन्मूलन पहल शुरू हुई	20
12. वित्तीय साक्ष्य पर विधेयक: महत्वपूर्ण ओवरहाल, लेकिन चिंताएं बनी हुई हैं	21
13. वैज्ञानिक अब AI से प्रोटीन को छोटा कर सकते हैं और फिर से लिख सकते हैं	23

SIXSIGMA IAS
Dream | Dare | Deliver

1. नेतन्याहू ने अमेरिका की 15-बिंदु वाली गाजा शांति योजना को खारिज किया

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- अमेरिकी प्रस्ताव की पूर्ण अस्वीकृति:** इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के नेतृत्व वाली 15-बिंदु वाली गाजा शांति योजना को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया, जिसे हमास का समर्थन प्राप्त था और जो 'बोर्ड ऑफ पीस' (Board of Peace) द्वारा प्रस्तावित की गई थी।
- सैन्य वापसी पर पूर्व शर्त:** इजरायली सेना ने पुनर्दृढ़ किया कि जब तक हमास को वास्तविक रूप से निरस्त और उसके खतरे को बेअसर नहीं कर दिया जाता, तब तक गाजा से कोई सैन्य वापसी नहीं होगी।
- समन्वित निशस्त्रीकरण की शर्तें:** अमेरिकी योजना में इजरायली सेना की चरणबद्ध वापसी के साथ-साथ हमास द्वारा एक उभरते हुए फ़िलिस्तीनी प्रशासनिक निकाय को हथियार सौंपने की परिकल्पना की गई थी।

- **घरेलू राजनीतिक आवश्यकताएँ:** इस योजना का विरोध इजरायल में आगामी अक्टूबर के चुनावों से पहले दक्षिणपंथी गठबंधन सहयोगियों के भारी घरेलू राजनीतिक दबाव के कारण प्रेरित है।
- **हमास का रुख:** नए नेता खलील अल-हय्या की नियुक्ति के बाद, हमास ने औपचारिक रूप से शांति के मसौदे का समर्थन किया और वाशिंगटन से आग्रह किया कि वह इजरायल पर इसका पालन करने के लिए दबाव डाले।
- **रणनीतिक राजनयिक तनाव:** डोनाल्ड ट्रम्प को एक प्रमुख सहयोगी स्वीकार करते हुए भी, नेतन्याहू ने कोर राष्ट्रीय सुरक्षा हितों पर वाशिंगटन को चुनौती देने की इजरायल की इच्छा पर जोर दिया।

Difference of opinions

The Israeli PM's opposition to the proposal comes after more than a week of gradually escalating criticism of the plan

What the plan says:

- Hamas would surrender weapons to a nascent Palestinian governing body
- Israel would begin pulling out forces in tandem with the disarmament



They [U.S.] have ideas; some of them are acceptable to us and some are not, and we know how to stand our ground

BENJAMIN NETANYAHU
Israeli Prime Minister



आवश्यक परिभाषाएँ

- **निशस्त्रीकरण (Disarmament):** तत्काल सुरक्षा खतरों को समाप्त करने के लिए सैन्य बलों और हथियारों को कम करने, सीमित करने या समाप्त करने की क्रिया।
- **उभरता हुआ प्रशासनिक निकाय (Nascent Governing Body):** एक नवउभरती हुई राजनीतिक या प्रशासनिक संस्था, जिसे संक्रमण क्षेत्र में कानून, व्यवस्था और नागरिक शासन बनाए रखने का काम सौंपा गया है।
- **बोर्ड ऑफ पीस (Board of Peace):** संघर्ष-समाधान ढांचों की बातचीत, निगरानी और उन्हें लागू करने के लिए स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय राजनयिक मध्यस्थता संरचना।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 2(4):** किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल के प्रयोग या धमकी को प्रतिबंधित करता है, जो अंतरराष्ट्रीय संघर्ष प्रबंधन का आधार बनता है।
- **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 2735:** गाजा में युद्धविराम प्रस्तावों, चरणबद्ध सैन्य वापसी, मानवीय सहायता वितरण और संघर्ष के बाद के पुनर्निर्माण के लिए अंतरराष्ट्रीय कानूनी समर्थन प्रदान करता है।
- **अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून (IHL) एवं चतुर्थ जेनेवा सम्मेलन:** सशस्त्र संघर्षों के दौरान नागरिकों की सुरक्षा, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और मानवाधिकारों को लागू करने के संबंध में एक कब्जाधारी शक्ति (occupying power) के कानूनी दायित्वों को निर्धारित करता है।
- **संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 51:** किसी सदस्य राज्य के खिलाफ सशस्त्र हमला होने पर व्यक्तिगत या सामूहिक आत्मरक्षा के अंतर्निहित अधिकार को मान्यता देता है।

निष्कर्ष

15-बिंदु वाले शांति प्रस्ताव की अस्वीकृति अंतरराष्ट्रीय राजनयिक पहलों और राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के बीच जटिल अंतर्संबंध को रेखांकित करती है। गाजा में स्थायी स्थिरता प्राप्त करने के लिए तत्काल सुरक्षा स्थितियों को राजनयिक प्रतिबद्धताओं के साथ संतुलित करने की आवश्यकता है, जिससे सैन्य वापसी को सत्यापित निशस्त्रीकरण और टिकाऊ शासन तंत्र पर निर्भर बनाया जा सके।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर II (अंतरराष्ट्रीय संबंध):** प्रमुख शक्तियों को शामिल करने वाले द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौते; पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक गतिशीलता; अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा संरचनाओं पर विदेशी नीतियों का प्रभाव।
- **GS पेपर II (महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थान):** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जनादेश और प्रवर्तन प्रभावशीलता, राजनयिक विवाद समाधान ढाँचे, तथा अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून (IHL)।
- **प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) फोकस:** मध्य पूर्व/पश्चिम एशिया क्षेत्र का प्रमुख भूगोल, अंतरराष्ट्रीय संधियों से संबंधित शब्दावली, वैश्विक शांति पहल, और प्रमुख संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव।

2. लद्दाख स्वतंत्र भारत की पहली जाति जनगणना का नेतृत्व करेगा

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **अग्रणी जाति गणना:** लद्दाख और अन्य बर्फ से ढके (snow-bound) क्षेत्र 17 अगस्त से जनगणना 2027 के लिए चरण 2 'जनसंख्या गणना' (PE) शुरू करेंगे, जो स्वतंत्र भारत की पहली ओपन-एंडेड (खुली) जाति गणना को चिह्नित करता है।
- **40-पैरामीटर वाली प्रश्नावली:** आगामी PE चरण में लगभग 40 जनसांख्यिकी, सामाजिक-आर्थिक मापदंडों के साथ-साथ स्व-घोषित जाति दर्ज करने के लिए एक ओपन-एंडेड कॉलम शामिल होगा।
- **कागजी अनुसूची का अपवाद:** यद्यपि जनगणना 2027 भारत की पहली डिजिटल जनगणना है जिसमें मोबाइल ऐप जियो-टैगिंग की आवश्यकता है, संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में रणनीतिक रक्षा प्रतिष्ठानों के कारण लद्दाख में अपवाद स्वरूप कागजी अनुसूचियों (paper schedules) का प्रावधान किया गया है।
- **प्री-टेस्ट पद्धति का प्रतिधारण:** अन्य 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विपरीत, जहाँ जुलाई में प्री-टेस्ट आयोजित किए गए थे, लद्दाख में कोई प्री-टेस्ट आयोजित नहीं किया गया था; मास्टर-ट्रेनर्स को महारजिस्ट्रार (Registrar General) द्वारा अधिसूचित अंतिम 40 मापदंडों पर प्रशिक्षित किया जाता है।
- **बर्फबारी वाले क्षेत्रों के समय का समायोजन:** अत्यधिक शीतकालीन मौसम के कारण फरवरी 2027 में राष्ट्रव्यापी क्रियान्वयन से पहले, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में PE संचालन 17 अगस्त से 30 सितंबर तक चलता है।
- **प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण:** जनगणना संचालन निदेशालय ने लद्दाख में तीन दिवसीय 'मास्टर ट्रेनर्स' प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा किया, जिसमें डिजिटल उपकरण, साक्षात्कार तकनीक और जाति डेटा एकत्र करने के तंत्र को शामिल किया गया।



आवश्यक परिभाषाएँ

- **जनसंख्या गणना (Population Enumeration - PE):** दशकीय राष्ट्रीय जनगणना का दूसरा चरण, जो प्रत्येक निवासी के व्यक्तिगत जनसांख्यिकी, सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और प्रवास विवरण दर्ज करता है।
- **ओपन-एंडेड जाति कॉलम (Open-Ended Caste Column):** जनगणना अनुसूची में बिना किसी पूर्व-निर्धारित ड्रॉप-डाउन विकल्पों वाला एक डेटा फ़ील्ड, जो उत्तरदाताओं को अपनी जाति का नाम ठीक उसी रूप में घोषित करने की अनुमति देता है जैसा कि प्रगणकों द्वारा दर्ज किया गया है।
- **गैर-समकालिक क्षेत्र (Non-Synchronous Areas):** गंभीर जलवायु परिस्थितियों वाले वे भौगोलिक क्षेत्र जहाँ राष्ट्रीय संदर्भ तिथि से पहले ही जनगणना संचालन पूरा कर लिया जाता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 246 एवं संघ सूची (प्रविष्टि 69):** भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत भारत की संसद को एक विशेष विषय के रूप में "जनगणना" के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है।
- **जनगणना अधिनियम, 1948:** जनसंख्या जनगणना आयोजित करने, जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति, लोक सेवकों के कर्तव्यों के लिए कानूनी अधिकार प्रदान करता है और एकत्र किए गए व्यक्तिगत डेटा की पूर्ण गोपनीयता की गारंटी देता है।
- **अनुच्छेद 15(4) एवं अनुच्छेद 16(4):** राज्य को शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक रोजगार में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBCs) के लिए विशेष प्रावधान और आरक्षण करने में सक्षम बनाता है, जिसके लिए सटीक जनसांख्यिकी डेटा अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- **जनगणना नियम, 1990:** भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त (RG&CCI) के तहत प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों, प्रगणकों के कर्तव्यों, स्व-गणना नियमों और शासन संरचना की रूपरेखा तैयार करता है।

निष्कर्ष

लक्षात् में चरण 2 जनसंख्या गणना की शुरुआत भारत में डिजिटल और समावेशी जनसांख्यिकी मैपिंग की ओर एक ऐतिहासिक परिचालन बदलाव को दर्शाती है। व्यापक जाति गणना के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोटोकॉल को संतुलित करना साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण, न्यायसंगत सामाजिक नियोजन और देश भर में सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) के डिजाइन के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करता है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर II (राजव्यवस्था और शासन):** संघीय ढांचा, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, सकारात्मक कार्रवाई के संबंध में संवैधानिक प्रावधान, जनगणना अधिनियम 1948 के तहत वैधानिक ढांचा, और सार्वजनिक नीति डिजाइन।
- **GS पेपर I (भारतीय समाज):** जाति गतिशीलता, सामाजिक स्तरीकरण, विविधता, जनसांख्यिकी परिवर्तन, और संवेदनशील व पिछड़े समुदायों के कल्याण के लिए संस्थागत तंत्र।
- **प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) फोकस:** सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 69, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त (गृह मंत्रालय), SECC और दशकीय जनगणना के बीच अंतर, गैर-समकालिक क्षेत्र अनुसूचियां, और डिजिटल जनगणना तंत्र।

3. केरल सरकार 'वंदे मातरम' के गायन पर जारी निर्देश वापस ले सकती है

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- निर्देश से पीछे हटना:** केरल सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों के दौरान 'वंदे मातरम' के सभी छह छंदों (stanzas) को पूरा गाने को अनिवार्य करने वाले अपने मुख्य सचिव के परिपत्र को संभावित रूप से वापस लेने का संकेत दिया।
- शुरुआती छंदों तक सीमित करना:** राज्य की स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार के कार्यक्रमों में केवल पहले दो छंद ही गाए जाएंगे, जो ऐतिहासिक मिसाल के अनुरूप है।
- विपक्ष के आरोप:** एलडीएफ (LDF) और आईयूएमएल (IUML) सहित विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि सभी छह छंदों को अनिवार्य करना संघ परिवार के एजेंडे के अनुरूप है और देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने का उल्लंघन करता है।
- संघीय तनाव:** हालांकि राज्य के मंत्रियों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) के दिशानिर्देशों को परिपत्र का आधार बताया, लेकिन कथित तौर पर लोक भवन ने राज्य को कोई स्पष्ट निर्देश जारी करने से इनकार किया।
- बहुलतावादी परंपराओं को बनाए रखना:** विपक्षी नेताओं ने जोर देकर कहा कि पहले दो छंदों को गाना राष्ट्रीय परंपरा का सम्मान करता है, लेकिन धार्मिक प्रतीकों वाले बाद के छंदों को लागू करना संवैधानिक धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।
- प्रशासनिक अस्पष्टता:** मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा मुख्य सचिव के पहले के निर्देश के संबंध में औपचारिक लिखित स्पष्टीकरण या आधिकारिक वापसी का आदेश जारी किया जाना अभी बाकी है।

आवश्यक परिभाषाएँ

- राष्ट्रीय गीत (National Song):** एक राष्ट्रीय देशभक्ति गीत, 'वंदे मातरम', जिसे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के समान दर्जा और सम्मान दिया गया था।
- 1937 का कांग्रेस समझौता:** कांग्रेस कार्य समिति द्वारा बहुलवादी समाज में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम के केवल पहले दो धर्मनिरपेक्ष छंदों को अपनाने वाला एक ऐतिहासिक प्रस्ताव।
- नकारात्मक स्वतंत्रता (Negative Liberty):** एक संवैधानिक अवधारणा जो राज्य की मजबूरी या दबाव से व्यक्ति के अधिकार की रक्षा करती है, जिसमें बिना अनादर दिखाए चुप रहने का अधिकार भी शामिल है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- अनुच्छेद 51A(a) (मौलिक कर्तव्य):** नागरिकों को संविधान का पालन करने और राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करने का आदेश देता है; विशेष रूप से राष्ट्रीय गीत का कोई वैधानिक या संवैधानिक संदर्भ इसमें शामिल नहीं है।
- अनुच्छेद 19(1)(a) एवं अनुच्छेद 25:** वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (जिसमें चुप रहने का अधिकार शामिल है) और अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धार्मिक आचरण की गारंटी देता है, जो राज्य द्वारा अनिवार्य धार्मिक पाठ/गायन को प्रतिबंधित करता है।

- **राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971:** राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान के प्रति अनादर के लिए वैधानिक सुरक्षा और दंड प्रदान करता है, लेकिन राष्ट्रीय गीत को इसके दायरे में शामिल नहीं करता है।
- **बिजोई इमैनुएल बनाम केरल राज्य (1986):** सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय जिसमें पुष्टि की गई कि बिना गाए सम्मानपूर्वक खड़े रहना अनादर नहीं है, जो अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण की स्वतंत्रता की रक्षा करता है।

निष्कर्ष

वंदे मातरम को लेकर जारी बहस सरकारी निर्देशों, राष्ट्रीय प्रतीकों और संवैधानिक स्वतंत्रताओं के बीच नाजुक संतुलन को रेखांकित करती है। 1937 की ऐतिहासिक सहमति को बनाए रखना राष्ट्रीय विरासत का सम्मान सुनिश्चित करता है, साथ ही भारत के संवैधानिक ढांचे के तहत गारंटीकृत अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की रक्षा करता है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर II (राजव्यवस्था और शासन):** अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 25, मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51A), संघीय प्रशासन और कार्यपालक परिपत्रों (executive circulars) के तहत संवैधानिक प्रावधान।
- **GS पेपर I (आधुनिक भारतीय इतिहास):** भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास, बंकिम चंद्र चटर्जी के 'आनंदमठ' की भूमिका, और 1937 का CWC प्रस्ताव।
- **प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) फोकस:** राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत के बीच अंतर, 1971 के राष्ट्रीय गौरव अधिनियम का दायरा, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णय।

4. विश्व आदिवासी दिवस: कोम्मु कोया सांस्कृतिक विरासत

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **सांस्कृतिक प्रदर्शन:** 'अंतरराष्ट्रीय विश्व आदिवासी दिवस' के अवसर पर हैदराबाद के कुमराम भीम आदिवासी भवन में कोम्मु कोया जनजातीय कलाकारों ने अपना पारंपरिक 'बायसन-हॉर्न' (गौर-सींग) नृत्य प्रस्तुत किया।
- **भौगोलिक वितरण:** कोया जनजाति (जो स्वयं को 'कोइथुर' मानती है) मुख्य रूप से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में गोदावरी नदी बेसिन में निवास करती है।
- **विशिष्ट प्रदर्शन कला:** कोम्मु कोया (या पिरमाकोक) एक पारंपरिक लोक नृत्य है, जिसमें पुरुष पीतल/बायसन के सींगों वाली अलंकृत पगड़ी पहनते हैं और महिलाओं (जो मुर्गियों और मोर के पंखों से सजी होती हैं) के साथ लंबे बेलनाकार ढोल (पेरमाकोर) बजाते हैं।
- **संरक्षण की ओर बदलाव:** भारतीय बायसन (गौर) की घटती आबादी के जवाब में, पापीकोंडा पहाड़ियों के कोया कारीगरों ने धीरे-धीरे ताड़ के पत्तों से बने पर्यावरण-अनुकूल वाद्ययंत्र बनाने की ओर रुख किया है, जो समुदाय के नेतृत्व वाले पारिस्थितिक संरक्षण को दर्शाता है।

- **सामाजिक शासन:** यह समुदाय 'पेडा' (Peda) नामक मुखिया की अध्यक्षता में पारंपरिक ग्राम परिषदों के माध्यम से संचालित होता है, जो कम पैदावार वाले मौसम के दौरान स्थानीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक अनाज बैंक बनाए रखते हैं।
- **स्थल का ऐतिहासिक महत्व:** कुमराम भीम आदिवासी भवन क्रांतिकारी आदिवासी नेता कुमराम भीम की विरासत का सम्मान करता है, जिन्होंने तेलंगाना में सामंती शोषण के खिलाफ ऐतिहासिक नारा "जल, जंगल, जमीन" दिया था।

आवश्यक परिभाषाएँ

- **कोम्मु कोया (पिरमाकोक):** कोया जनजाति का एक पारंपरिक अनुष्ठानिक और उत्सव नृत्य रूप, जिसका नाम 'कोम्मु' (सींग) के नाम पर रखा गया है, जिसे वे सामूहिक फसल कटाई और उत्सव के आयोजनों के दौरान सिर पर पहनते हैं।
- **अंतरराष्ट्रीय विश्व आदिवासी दिवस:** दुनिया भर में मूल निवासी/आदिवासी आबादी के मौलिक अधिकारों, सांस्कृतिक पहचान और पारंपरिक ज्ञान को पहचानने, सुरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है।
- **विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह (PVTGs):** गिरती या स्थिर जनसंख्या, कृषि-पूर्व तकनीक, निम्न साक्षरता और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजातियों की एक विशिष्ट उप-श्रेणी।

Cultural showcase



Indigenous rhythms: Kommu Koya tribal dancers perform during the World's Indigenous Peoples Day celebration at Kumram Bheem Adivasi Bhavan in Hyderabad on Sunday. SIDHANT THAKUR

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30:** विशिष्ट भाषाई, लिपीय और सांस्कृतिक समूहों को अपनी अनूठी विरासत को संरक्षित करने और सांस्कृतिक संस्थानों की स्थापना करने के मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है।
- **अनुच्छेद 342 और पाँचवीं अनुसूची:** राष्ट्रपति को अनुसूचित जनजातियों को नामित करने का अधिकार देता है और जनजातीय भूमि के हस्तांतरण को रोकने के लिए अनुसूचित क्षेत्रों के लिए प्रशासनिक शासन संरचनाएँ प्रदान करता है।
- **पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA):** सामुदायिक संसाधनों, पारंपरिक रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाता है।
- **वन अधिकार अधिनियम, 2006 (FRA):** व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों (CFR) को मान्यता देता है, जो वनों में रहने वाली जनजातियों को पैतृक भूमि पर कानूनी अधिकार और गैर-इमारती लकड़ी वन उपज के टिकाऊ उपयोग का अधिकार प्रदान करता है।

निष्कर्ष

विश्व आदिवासी दिवस पर कोम्मु कोया नृत्य का सार्वजनिक प्रदर्शन भारत की आदिवासी सांस्कृतिक परंपराओं के लचीलेपन को उजागर करता है। PESA और FRA जैसे वैधानिक ढाँचों के तहत पारंपरिक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के

साथ पर्यावरण संरक्षण को संतुलित करना जैव विविधता की रक्षा करते हुए आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक बना हुआ है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर I (कला एवं संस्कृति तथा समाज):** प्रदर्शन कलाएँ, आदिवासी लोक नृत्य, स्वदेशी सामाजिक-सांस्कृतिक संस्थाएँ और भारतीय समाज की विविधता।
- **GS पेपर II (शासन एवं सामाजिक न्याय):** पाँचवीं और छठी अनुसूचियाँ, PESA अधिनियम 1996, FRA 2006, अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपाय और कल्याणकारी नीतियाँ।
- **प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) फोकस:** कोया जनजाति का क्षेत्रीय वितरण, कुमराम भीम की विरासत ("जल, जंगल, जमीन"), संयुक्त राष्ट्र विश्व आदिवासी दिवस, और आदिवासी समुदायों के बीच जैव विविधता संरक्षण प्रथाएँ।

5. जलवायु और भूविज्ञान के संयुक्त प्रभावों के कारण 2024 में वायनाड भूस्खलन हुआ

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **बहु-कारकीय आपदा तंत्र:** *लैंडस्लाइड्स* (Landslides) पत्रिका में प्रकाशित एक सहकर्मि-समीक्षित अध्ययन से पता चलता है कि 2024 का वायनाड भूस्खलन जलवायु कारकों और अंतर्निहित भूगर्भीय स्थितियों के संयोजन के कारण हुआ था।
- **ट्रिगर के रूप में वर्षा:** तीव्र मानसूनी वर्षा ने ढलान टूटने के लिए तत्काल भौतिक उत्प्रेरक (trigger) के रूप में कार्य किया, लेकिन पूर्व-मौजूद भूगर्भीय और भू-आकृतिक संरचनाओं ने भूस्खलन के स्थान और उसकी गंभीरता को निर्धारित किया।
- **सहयोगी वैज्ञानिक जांच:** केरल विश्वविद्यालय, IISER मोहाली और सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय द्वारा किए गए शोध में चूरलमाला-पुंचिरीमट्टम बेल्ट के चट्टानों के नमूनों और भू-भाग का विश्लेषण किया गया।
- **उन्नत रिमोट सेंसिंग उपकरण:** शोधकर्ताओं ने असुरक्षित भूस्खलन शिखरों (crowns) और मलबे के बहाव मार्गों का मानचित्रण करने के लिए ड्रोन-माउंटेड लिडार (LiDAR - लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग) और उच्च-संकल्प वाली हवाई तस्वीरों का उपयोग किया।

- **भू-आकृतिक संवेदनशीलता:** अपक्षयित ऊपरी परत (overburden) की कमजोर अपरूपण शक्ति (shear strength), अत्यधिक तीव्र ढलान, और पश्चिमी घाट के आधारभूत चट्टानों में संरचनात्मक विच्छेदन ने मलबे के तेजी से खिसकने और बहने की गति को बढ़ा दिया।
- **जोखिम मूल्यांकन में बदलाव:** अध्ययन में नाजुक पहाड़ी क्षेत्रों के लिए केवल अत्यधिक वर्षा की चेतावनियों के बजाय एकीकृत पारिस्थितिक-भूगर्भीय संवेदनशीलता मैपिंग (eco-geological vulnerability mapping) की ओर बढ़ने पर जोर दिया गया है।

आवश्यक परिभाषाएँ

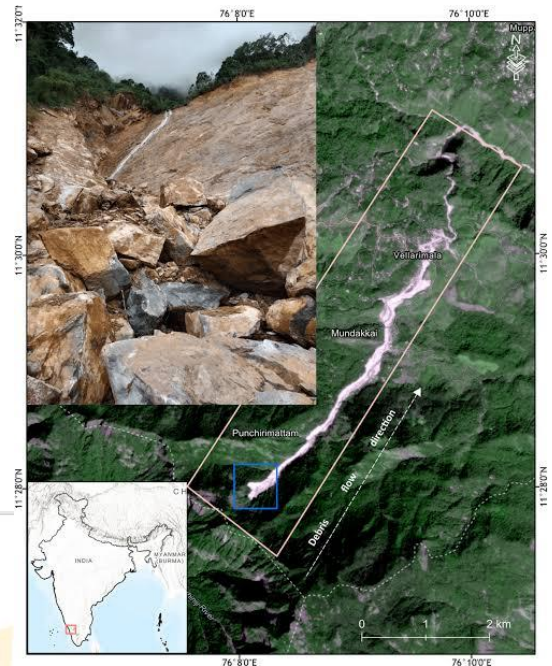
- **मास वेस्टिंग / वृहद क्षरण (Mass Wasting):** गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव में चट्टान, मिट्टी और मलबे का ढलान से नीचे की ओर खिसकना, जो अक्सर पानी की संतृप्ति (water saturation) से शुरू होता है।
- **लिडार (LiDAR - Light Detection and Ranging):** एक रिमोट सेंसिंग तकनीक जो परिवर्तनीय दूरियों को मापने के लिए स्पंदित लेजर प्रकाश का उपयोग करती है, जिससे सटीक त्रि-आयामी (3D) स्थलाकृतिक सतह मॉडल तैयार होते हैं।
- **भू-आकृति विज्ञान (Geomorphology):** भू-आकृतियों (landforms), उनकी उत्पत्ति, विकास और पृथ्वी की सतह की संरचना को आकार देने वाली भौतिक/रासायनिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005:** आपदा शमन, जोखिम न्यूनीकरण और जोखिम क्षेत्रीकरण रणनीतियों को तैयार करने के लिए NDMA और SDMA जैसी संस्थागत प्रणालियों को वैधानिक अधिकार प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 21 (जीवन और सुरक्षा का अधिकार):** आपदा-संभावित पारिस्थितिक क्षेत्रों में सुरक्षित भूमि-उपयोग नियोजन और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली लागू करके नागरिकों के जीवन की रक्षा करने का सकारात्मक दायित्व राज्य पर डालता है।
- **अनुच्छेद 51A(g) (मौलिक कर्तव्य):** प्रत्येक नागरिक और राज्य संस्था को वनों, झीलों और नाजुक पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का आदेश देता है।
- **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986:** केंद्र सरकार को अस्थिर करने वाली विकास गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए पश्चिमी घाट जैसे क्षेत्रों को पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ESZs) घोषित करने का अधिकार देता है।

निष्कर्ष

2024 का वायनाड भूस्खलन इस बात को रेखांकित करता है कि अत्यधिक भारी वर्षा पहले से मौजूद भूगर्भीय संवेदनशीलताओं के भीतर काम करती है। पश्चिमी घाट की बस्तियों में विनाशकारी जनहानि को रोकने के लिए प्रभावी आपदा शमन के तहत लिडार इलाके के मॉडलिंग, संरचनात्मक भूविज्ञान मैपिंग और सख्त पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रीकरण को एकीकृत करना आवश्यक है।



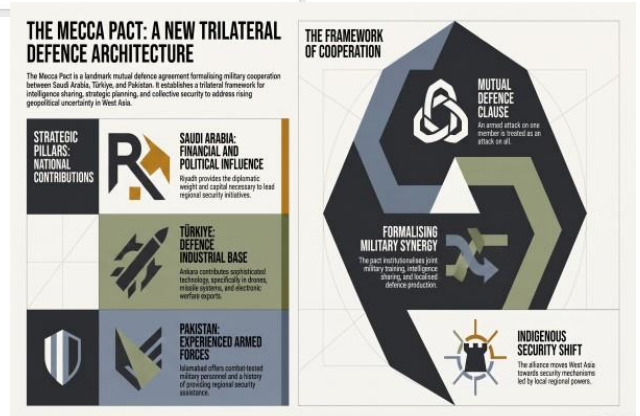
UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर III (आपदा प्रबंधन):** भूस्खलन जोखिम क्षेत्रीकरण, जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व चेतावनी प्रणाली, और आपदा के बाद का संरचनात्मक विश्लेषण।
- **GS पेपर III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी):** पश्चिमी घाट की पारिस्थितिक संवेदनशीलता, गाडगिल और कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिशें, चरम मौसमी घटनाओं पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव।
- **GS पेपर I (भौतिक भूगोल):** भू-आकृतिक प्रक्रियाएं, मास वेस्टिंग क्रियाविधि, ढलान अस्थिरता के कारक, और प्रायद्वीपीय भारत की भौतिक विशेषताएं।

6. मक्का समझौते के साथ उभरा एक नया सुरक्षा त्रिकोण

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन:** 7 अगस्त, 2026 को हस्ताक्षरित सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच 'मक्का संयुक्त रक्षा समझौता' (MJDA) एक सामूहिक रक्षा खंड (collective defense clause) स्थापित करता है जहाँ किसी एक देश पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा।
- **भू-राजनीतिक पुनर्गठन:** पश्चिम एशिया में व्यापक क्षेत्रीय अस्थिरता और अमेरिका की बदलती प्रतिबद्धताओं से प्रेरित, यह समझौता तीन प्रमुख मुस्लिम-बहुसंख्यक देशों के बीच एक प्रमुख सुरक्षा संरक्षण का प्रतिनिधित्व करता है।
- **पूरक क्षमताएँ:** यह समझौता सऊदी अरब के \$83 अरब के रक्षा बजट, तुर्की के उन्नत रक्षा-औद्योगिक आधार (\$10 अरब वार्षिक निर्यात), और पाकिस्तान की 6,60,000 मजबूत सशस्त्र सेनाओं का लाभ उठाता है।
- **आंतरिक संरचनात्मक तनाव:** ऐतिहासिक मतभेद—जिसमें अरब में उस्मानी (ऑटोमन) शासन, ईरान के प्रति भिन्न रुख और घरेलू राजनीतिक बाधाएं शामिल हैं—एक एकजुट "मुस्लिम नाटो" (Muslim NATO) बनाने में महत्वपूर्ण परिचालन चुनौतियाँ पेश करते हैं।
- **अमेरिका और क्षेत्रीय गतिशीलता:** यद्यपि तीनों हस्ताक्षरकर्ता वाशिंगटन के साथ सैन्य संबंध बनाए रखते हैं, फिर भी यह समझौता बढ़ती रणनीतिक स्वायत्तता और अमेरिकी विश्वसनीयता के घटते भरोसे के खिलाफ बचाव (hedging) को दर्शाता है।
- **भारत के लिए रणनीतिक निहितार्थ:** भारत सऊदी अरब के साथ मजबूत आर्थिक और राजनयिक संबंध बनाए रखता है; रियाद द्वारा नई दिल्ली के खिलाफ पाकिस्तानी सैन्य दुस्साहस का समर्थन करने की संभावना नहीं है, जिससे भारत के कोर पश्चिम एशियाई हित सुरक्षित रहेंगे।



आवश्यक परिभाषाएँ

- **सामूहिक रक्षा खंड (Collective Defence Clause):** संधि का एक ऐसा प्रावधान जो यह स्थापित करता है कि किसी भी एक सदस्य देश के खिलाफ सशस्त्र हमला सभी हस्ताक्षरकर्ताओं के खिलाफ हमला माना जाएगा, जिसके लिए आपसी सहायता की आवश्यकता होती है।
- **रणनीतिक हेजिंग (Strategic Hedging):** एक भू-राजनीतिक रणनीति जहाँ मध्यस्थ शक्तियाँ किसी एक वैश्विक महाशक्ति पर अत्यधिक निर्भरता से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए अपनी सुरक्षा साझेदारियों में विविधता लाती हैं।
- **पैक्स अमेरिकाना (Pax Americana):** द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के युग में सापेक्ष अंतरराष्ट्रीय स्थिरता की अवधि, जिसकी देखरेख और प्रवर्तन मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका की सैन्य और आर्थिक शक्ति द्वारा किया गया।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 51:** सशस्त्र हमले के जवाब में व्यक्तिगत या सामूहिक आत्मरक्षा के संप्रभु राज्यों के अंतर्निहित अधिकार को स्पष्ट रूप से मान्य करता है, जो पारस्परिक रक्षा संधियों के लिए अंतरराष्ट्रीय कानूनी आधार प्रदान करता है।
- **संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 52:** अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव से संबंधित मामलों से निपटने के लिए क्षेत्रीय व्यवस्थाओं या एजेंसियों को अधिकृत करता है, बशर्ते उनकी गतिविधियाँ संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों के अनुकूल हों।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 (राज्य के नीति निर्देशक तत्व):** राज्य को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने और अंतरराष्ट्रीय कानून व संधि दायित्वों के प्रति आदर बढ़ाने का निर्देश देता है।

निष्कर्ष

मक्का संयुक्त रक्षा समझौता पश्चिम एशिया में उभरते भू-राजनीतिक पुनर्गठन को दर्शाता है क्योंकि क्षेत्रीय शक्तियाँ रणनीतिक स्वायत्तता चाहती हैं। यद्यपि संरचनात्मक तनाव और भिन्न-भिन्न राष्ट्रीय प्राथमिकताएं इसे एक एकीकृत सैन्य गुट के रूप में उभरने से सीमित कर सकती हैं, फिर भी गल्फ पार्टनर देशों के साथ भारत के मजबूत आर्थिक संबंध और द्विपक्षीय कूटनीति उसके प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा करती है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर II (अंतरराष्ट्रीय संबंध):** भारत से जुड़े और भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह; पश्चिम एशिया की भू-राजनीतिक गतिशीलता; भारत की विस्तारित पड़ोस नीति (Extended Neighborhood Policy)।
- **GS PAPER II (महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थान):** सामूहिक रक्षा पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रावधान (अनुच्छेद 51), क्षेत्रीय सुरक्षा संरचनाएं, और अंतरराष्ट्रीय संधि तंत्र।
- **प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) फोकस:** पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक स्थान, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा समझौतों में प्रमुख शब्द, आत्मरक्षा को नियंत्रित करने वाले संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद, और भारत व खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार संबंध।

7. बिना शर्त नकद हस्तांतरण (Unconditional Cash Transfers) की लागत

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- नकद योजनाओं का विस्तार:** दिल्ली ने पात्र महिलाओं को ₹2,500/माह की पेशकश करने वाली 'लक्ष्मी योजना' शुरू की, जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड और कर्नाटक जैसे राज्यों में बिना शर्त नकद हस्तांतरण (UCT) कार्यक्रमों के विस्तार में शामिल हो गई।
- राज्यों पर वित्तीय बोझ:** आरबीआई (RBI) और 16वें वित्त आयोग द्वारा संकलित आंकड़ों से संकेत मिलता है कि झारखंड जैसे उच्च खर्च वाले राज्यों में UCT व्यय कुल राज्य व्यय का 10% तक है।
- पूंजीगत व्यय का प्रभावित होना (Crowding Out Capital Expenditure):** झारखंड, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में नकद हस्तांतरण पर खर्च उनके पूरे शिक्षा बजट के आधे से अधिक है और कुछ मामलों में कुल स्वास्थ्य खर्च से भी अधिक है।
- प्रतिबद्ध व्यय की सीमाएँ:** राज्य के राजस्व व्यय का लगभग 44% प्रतिबद्ध देयताओं (ब्याज, पेंशन, वेतन) में बंधा हुआ है, जिससे दीर्घकालिक सामाजिक बुनियादी ढांचे के निवेश के लिए बहुत कम वित्तीय स्थान बचता है।
- लक्ष्यीकरण और अपवर्जन के मुद्दे:** प्रतिबंधात्मक पात्रता मानदंड—जैसे स्थानीय विधायक/सांसद की सिफारिशें या डिजिटल दस्तावेजीकरण की आवश्यकताएं—सुपात्र और संवेदनशील लाभार्थियों के बाहर छूटने (exclusion) का कारण बनती हैं।
- रेवड़ी/मुफ्त उपहार बनाम संरचनात्मक सशक्तिकरण:** विशेषज्ञों ने रेखांकित किया है कि हालांकि नकद हस्तांतरण से परिवारों को तत्काल राहत मिलती है, लेकिन प्रत्यक्ष भुगतान पर अत्यधिक जोर देने से स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसी गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने में राज्य की विफलता की भरपाई करने का जोखिम रहता है।

How unconditional cash transfer went from novelty to default



आवश्यक परिभाषाएँ

- बिना शर्त नकद हस्तांतरण (Unconditional Cash Transfer - UCT):** विशिष्ट अनुपालन व्यवहार (जैसे स्कूल में उपस्थिति या स्वास्थ्य जांच) की आवश्यकता के बिना लक्षित व्यक्तियों या परिवारों को प्रदान की जाने वाली प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता।
- प्रतिबद्ध व्यय (Committed Expenditure):** तय देनदारियों (जैसे ब्याज भुगतान, पेंशन और वेतन) पर सरकार का अनिवार्य खर्च, जिसे अल्पकाल में बदला नहीं जा सकता।
- वित्तीय क्राउडिंग आउट (Fiscal Crowding Out):** एक ऐसी स्थिति जहां एक क्षेत्र (उदा. कल्याणकारी नकद भुगतान) में बढ़ता सरकारी खर्च अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पूंजी निर्माण या सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निर्माण में कटौती के लिए मजबूर करता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 280 और 16वां वित्त आयोग:** राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य और स्थिरता का आकलन करते हुए करों के क्षेत्रीय और लंबवत हस्तांतरण सिद्धांतों की सिफारिश करने के लिए वित्त आयोग को अधिकृत करता है।
- **अनुच्छेद 293(3) (राज्य ऋण सीमाएँ):** केंद्र सरकार को राज्यों द्वारा लिए जाने वाले ऋण को विनियमित करने का अधिकार देता है, जो वार्षिक शुद्ध ऋण सीमाओं (Net Borrowing Ceilings - NBC) के माध्यम से वित्तीय अनुशासन लागू करता है।
- **राज्य के नीति निदेशक तत्व (अनुच्छेद 38 और अनुच्छेद 39):** दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता से समझौता किए बिना सार्वजनिक कल्याण को बढ़ावा देने, आय असमानताओं को कम करने और आजीविका के पर्याप्त साधन सुरक्षित करने का निर्देश देता है।
- **राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003:** असमर्थनीय राजस्व व्यय के विस्तार को रोकने के लिए राजकोषीय घाटे (GSDP का 3% लक्ष्य) और ऋण-से-GSDP अनुपात पर वैधानिक सीमाएं निर्धारित करता है।

निष्कर्ष

बिना शर्त नकद हस्तांतरण संवेदनशील परिवारों के लिए महत्वपूर्ण अल्पकालिक सामाजिक सुरक्षा जाल प्रदान करते हैं, लेकिन उनका अनियंत्रित वित्तीय विस्तार स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सार्वजनिक वस्तुओं को कम वित्तपोषित करने का जोखिम पैदा करता है। टिकाऊ मानव विकास प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष आय सहायता को स्वास्थ्य सेवा, शैक्षिक बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन में दीर्घकालिक पूंजीगत निवेश के साथ संतुलित करने की आवश्यकता है।

UPSC प्रासंगिकता

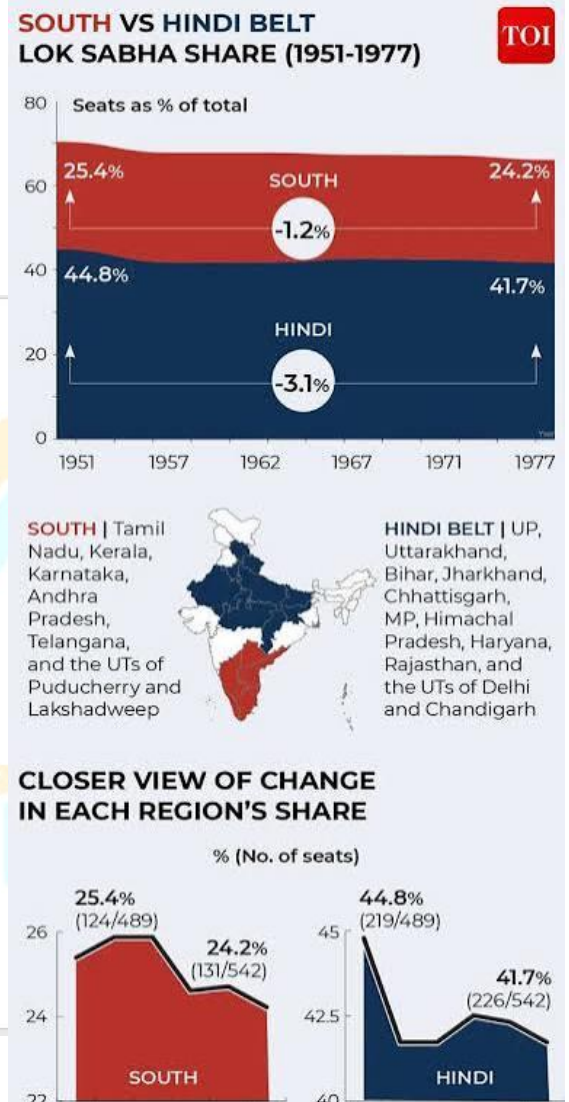
- **GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था और राजकोषीय नीति):** राज्यों का वित्त, राजकोषीय घाटा प्रबंधन, FRBM लक्ष्य, 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें, और सार्वजनिक व्यय का आवंटन।
- **GS पेपर II (शासन और कल्याणकारी योजनाएं):** प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) तंत्र, सामाजिक कल्याण संरचना, लक्षित वितरण, और नकद सब्सिडी बनाम भौतिक बुनियादी ढांचे के बीच समझौता (trade-offs)।
- **प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) फोकस:** राजस्व बनाम पूंजीगत व्यय की अवधारणाएं, प्रतिबद्ध देयताएं, FRBM अधिनियम के तहत राजकोषीय घाटे के लक्ष्य, अनुच्छेद 293 के तहत ऋण नियम, और आरबीआई राज्य वित्त रिपोर्ट के प्रमुख संकेतक।

8. भारत की परिसीमन (Delimitation) बहस के दांव

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **जनगणना 2027 का उत्प्रेरक:** मौजूदा संवैधानिक प्रावधानों के तहत 2027 के जनगणना आंकड़ों के प्रकाशन के बाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों का देशव्यापी नया परिसीमन स्वतः ही शुरू हो जाएगा।
- **किसी संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं:** अनुच्छेद 81 और 82 के तहत, प्रकाशित जनगणना आंकड़ों के आधार पर सीटों का पुनर्वितरण स्वतः ही होता है, जब तक कि कुल सीटों की सीमा या वितरण सूत्रों में संशोधन न किया जाए।

- **उत्तर-दक्षिण प्रतिनिधित्व विभाजन:** पूरी तरह से अद्यतन जनसंख्या डेटा पर आधारित परिसीमन से दक्षिणी राज्यों (जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक) के लिए लोकसभा सीट के शेयरों में कमी आएगी, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान जैसे उत्तरी राज्यों को उल्लेखनीय लाभ होगा।
- **महिला आरक्षण का जुड़ाव:** नारी शक्ति वंदन अधिनियम (लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण) का क्रियान्वयन संवैधानिक रूप से 2026 के बाद की जनगणना के परिसीमन अभ्यास के पूरा होने से जुड़ा हुआ है।
- **डिजिटल जनगणना में तेजी:** चूंकि जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है, इसलिए डेटा प्रोसेसिंग काफी तेज होने की उम्मीद है, जिससे 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले इसे पूरा करना तकनीकी रूप से संभव हो जाएगा।
- **चुनावी अखंडता संबंधी चिंताएं:** सीमा रेखाओं को फिर से खींचने से चुनावी जोखिम पैदा होते हैं जैसे कि गेरीमैण्डरिंग (Gerrymandering)—विशेष रूप से "क्रैकिंग" (मतदाता शक्ति को पतला करना) या "पैकिंग" (विपक्षी मतदाताओं को एक जगह केंद्रित करना)—जो निर्वाचन क्षेत्रों में राजनीतिक समानता को प्रभावित करता है।



आवश्यक परिभाषाएँ

- **परिसीमन (Delimitation):** जनसंख्या में बदलाव को दर्शाने और प्रति वोट समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से खींचने की कानूनी प्रक्रिया।
- **गेरीमैण्डरिंग (Gerrymandering):** क्रैकिंग या पैकिंग जैसी तकनीकों के माध्यम से एक राजनीतिक दल या जनसांख्यिकीय समूह को दूसरे पर लाभ पहुँचाने के लिए चुनावी निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का रणनीतिक हेरफेर।
- **परिसीमन आयोग (Delimitation Commission):** भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक उच्च-स्तरीय वैधानिक निकाय जिसके आदेशों में कानून की शक्ति होती है और उन्हें किसी भी अदालत के सामने चुनौती नहीं दी जा सकती।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 81:** लोकसभा की संरचना को निर्दिष्ट करता है, जिसमें अनिवार्य किया गया है कि प्रत्येक राज्य को आवंटित सीटों की संख्या और उसकी जनसंख्या का अनुपात जहाँ तक व्यावहारिक हो, सभी राज्यों में एक समान रहे।
- **अनुच्छेद 82:** प्रत्येक दशकीय जनगणना के बाद संसद को लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों के आवंटन को पुनः समायोजित करने के लिए परिसीमन अधिनियम बनाने का अधिकार देता है।

- **84वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2002:** 1971 की जनगणना के स्तर पर कुल लोकसभा सीटों और अंतर-राज्यीय आवंटन पर लगी रोक को 2026 के बाद की पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक बढ़ा दिया गया।
- **106वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2023:** संसदीय और विधानसभा सीटों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य करता है, यह निर्दिष्ट करते हुए कि यह 2026 के बाद के परिसीमन अभ्यास के बाद प्रभावी होगा।

निष्कर्ष

2026 के बाद का आगामी परिसीमन अभ्यास लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के साथ संघीय सिद्धांतों को संतुलित करने वाला एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पड़ाव है। जनसंख्या-आधारित सीट आवंटन और जनसंख्या-स्थिरीकरण प्रदर्शन के बीच राजनीतिक मतभेद को दूर करने के लिए प्रगतिशील राज्यों को दंडित किए बिना निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक संस्थागत सहमति की आवश्यकता होगी।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर II (राजव्यवस्था और शासन):** अनुच्छेद 81 और 82 के तहत संवैधानिक प्रावधान, संघवाद, चुनावी सुधार, महिला आरक्षण का क्रियान्वयन, और परिसीमन आयोग की वैधानिक शक्तियां।
- **GS पेपर II (संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां):** उत्तर-दक्षिण जनसांख्यिकी असंतुलन, राजकोषीय और राजनीतिक संघवाद, और अंतर-राज्यीय प्रतिनिधित्व विषमताएं।
- **प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) फोकस:** 84वें और 106वें संविधान संशोधन, परिसीमन आयोग का गठन और न्यायिक उन्मुक्ति, 1971 बनाम 2001/2027 जनगणना मानक, और कैंकिंग/पैकिंग की परिभाषाएं।

9. केंद्र ने कहा थिएटर कमानों पर रिपोर्ट विचारधीन है

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **थिएटराइजेशन में निर्णायक चरण:** भारतीय सेना के लिए एकीकृत थिएटर कमानों को संचालित करने की लंबे समय से लंबित योजना एक उन्नत चरण में प्रवेश कर गई है, जिसकी अंतिम रिपोर्ट सरकार के विचारधीन है।
- **संसदीय समिति की टिप्पणियां:** रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में 34 सिफारिशों में से थिएटराइजेशन को एकमात्र ऐसी सिफारिश बताया, जिसके लिए अंतिम सरकारी जवाब अभी भी लंबित है।
- **नेतृत्व परिवर्तन:** जनरल अनिल चौहान के पद छोड़ने के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) के रूप में नियुक्त जनरल एन. एस. राजा सुब्रमण्य के नेतृत्व में एकीकृत थिएटर कमानों पर प्रगति जारी है।
- **समर्पित संयुक्त स्टाफ टीम:** एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख (CISC) के तहत थल सेना, नौसेना और वायु सेना के अधिकारियों की एक समर्पित टीम कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए वैश्विक सैन्य संरचनाओं का अध्ययन कर रही है।

- **परिचालन कमान वास्तुकला:** एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय (HQ IDS) परिचालन मुद्दों का समन्वय करेगा, जबकि एक प्रस्तावित 'संयुक्त संचालन स्टाफ' (Joint Operations Staff) व्यक्तिगत सेवा मुख्यालयों और थिएटर कमांडरों के बीच वास्तविक समय में समन्वय का प्रबंधन करेगा।
- **एकीकृत युद्ध क्षमताएं:** इस पुनर्गठन का उद्देश्य तीनों सेनाओं की संपत्तियों को भौगोलिक थिएटर कमानों में एकत्र (pool) करना है, जिससे संयुक्तता, अंतर-संचालनीयता और संसाधनों के अनुकूलन में सुधार होगा।

आवश्यक परिभाषाएँ

- **थिएटर कमान (Theatre Command):** एक एकीकृत सैन्य संरचना जहाँ एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के भीतर थल सेना, नौसेना और वायु सेना की संपत्तियों को एक ही परिचालन कमांडर के तहत रखा जाता है।
- **संयुक्तता और एकीकरण (Jointness and Integration):** अभियानों के दौरान सशस्त्र बलों की विभिन्न शाखाओं के बीच संसाधनों, संचार, रणनीति और रसद का निर्बाध समन्वय और साझा उपयोग।
- **चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS):** एक चार-स्टार जनरल जो चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी (COSC) के स्थायी अध्यक्ष और केंद्रीय रक्षा मंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53(2):** संघ के रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान भारत के राष्ट्रपति में निहित करता है, जिसका प्रयोग संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार किया जाता है।
- **अंतर-सेवा संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) अधिनियम, 2023:** अंतर-सेवा संगठनों के कमांडर-इन-चीफ या ऑफिसर-इन-कमांड को उनके तहत सेवा देने वाले किसी भी सेवा के कर्मियों पर प्रशासनिक और अनुशासनात्मक नियंत्रण का प्रयोग करने का अधिकार देता है।
- **सैन्य मामलों का विभाग (DMA):** रक्षा मंत्रालय के तहत 2019 में बनाया गया (जिसके प्रमुख CDS सचिव के रूप में होते हैं) ताकि सशस्त्र बलों के बीच पुनर्गठन, खरीद में संयुक्तता और परिचालन तालमेल को आसान बनाया जा सके।
- **भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961:** सैन्य मामलों के विभाग को संयुक्तता, थिएटर कमानों और सैन्य रसद से संबंधित जिम्मेदारियां सौंपने के लिए संशोधित किया गया।

निष्कर्ष

एकीकृत थिएटर कमानों को चालू करना भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा वास्तुकला के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। अंतर-सेवा संगठन अधिनियम 2023 के तहत वैधानिक शक्तियों द्वारा समर्थित एक एकीकृत युद्ध-रोधी ढांचा तैयार करके, भारत अपनी सामरिक सीमाओं पर परिचालन तालमेल और अनुकूलित रक्षा संसाधन तैनाती हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

UPSC प्रासंगिकता

F.

WHAT HAPPENED

- India's push for Integrated Theatre Commands is gaining momentum after Operation Sindoor.
- The reform aims to improve coordination between the Army, Navy, and Air Force.
- Defence experts say the changes could reshape India's future war-fighting strategy.



- **GS पेपर III (सुरक्षा चुनौतियां और प्रबंधन):** सुरक्षा चुनौतियां, रक्षा सुधार, सैन्य आधुनिकीकरण, भारतीय सशस्त्र बलों की संरचना और जनादेश, तथा उच्च रक्षा प्रबंधन।
- **GS पेपर II (शासन और वैधानिक ढांचा):** सैन्य मामलों के विभाग (DMA) का जनादेश, अंतर-सेवा संगठन अधिनियम 2023 के तहत वैधानिक प्रावधान, और संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशें।
- **प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) फोकस:** चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) की भूमिका, अंतर-सेवा संगठन अधिनियम 2023 के प्रावधान, एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय (HQ IDS), और सेवा-विशिष्ट कमानों बनाम एकीकृत थिएटर कमानों के बीच संगठनात्मक अंतर।

10. अपने पहले महीने में, VB-G RAM G में ग्रामीण नौकरियों में लगभग 50% की वार्षिक गिरावट देखी गई

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **पर्सन-डेज़ (व्यक्ति-दिवस) में भारी गिरावट:** नव-शुरू किए गए 'विकसित भारत - गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' [VB-G RAM G] के तहत सृजित रोजगार जुलाई 2026 में साल-दर-साल (Y-o-Y) 49.94% गिरकर 7.67 करोड़ व्यक्ति-दिवस रह गया, जबकि जुलाई 2025 में MGNREGS के तहत यह 15.33 करोड़ था।
- **संक्रमण चरण का तनाव (Transition Phase Friction):** ग्रामीण रोजगार में यह तेज गिरावट 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी, दो दशक पुराने MGNREGS ढांचे से VB-G RAM G में प्रशासनिक बदलाव (संक्रमण) के समय के साथ मेल खाती है।
- **उच्च मांग पूर्ति अनुपात:** कुल मात्रा में गिरावट के बावजूद, आधिकारिक डैशबोर्ड डेटा से पता चलता है कि नए ढांचे के तहत सक्रिय रूप से रोजगार चाहने वाले 98% ग्रामीण परिवारों को काम की पेशकश की गई थी।
- **पारिवारिक भागीदारी का ब्योरा:** जुलाई 2026 में VB-G RAM G के तहत केवल 68 लाख ग्रामीण परिवारों को काम मिला, जो जुलाई 2025 में 1.42 करोड़ परिवार और जुलाई 2023 में 2.09 करोड़ परिवार था।
- **ग्रामीण मांग पर प्रभाव:** ग्रामीण नौकरियों के सृजन में धीमी गति व्यापक ग्रामीण उपभोक्ता मांग और आर्थिक सुधार के लिए संभावित जोखिम पैदा करती है, जो खरीफ की बुआई को प्रभावित करने वाले अनियमित मानसून पैटर्न से और अधिक जटिल हो गई है।
- **उन्नत अधिकार बनाम परिचालन बाधाएं:** हालांकि VB-G RAM G उच्च दैनिक मजदूरी दरों और बढ़ी हुई गारंटीकृत कार्यदिवसों का वादा करता है, लेकिन शुरुआती कार्यान्वयन चुनौतियों ने तत्काल रोजगार अवशोषण को सीमित कर दिया है।

• Rural jobs generated in July

Fiscal year	Household	Person-days
2022-23	1.75 crore	23.47 crore
2023-24	2.09 crore	27.14 crore
2024-25	1.62 crore	20.30 crore
2025-26	1.42 crore	15.33 crore
2026-27	68 lakh	7.67 crore

SOURCE: SCHEME DASHBOARDS

आवश्यक परिभाषाएँ

- **VB-G RAM G:** विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण), ग्रामीण भारत में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के लिए MGNREGS की जगह लेने वाली पुनर्गठित वैधानिक ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना।
- **पर्सन-डे (व्यक्ति-दिवस):** एक मानकीकृत मापन इकाई जो एक पूर्ण कार्य दिवस के दौरान एक व्यक्ति द्वारा किए गए आदर्श कार्य की मात्रा का प्रतिनिधित्व करती है।
- **मांग-आधारित रोजगार (Demand-Driven Employment):** एक कल्याणकारी संरचना जहां पंजीकृत श्रमिक द्वारा औपचारिक आवेदन के 15 दिनों के भीतर काम प्रदान करने के लिए राज्य प्राधिकरण कानूनी रूप से बाध्य हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 41 (राज्य के नीति निदेशक तत्व):** राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता के भीतर बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को सुरक्षित करने का निर्देश देता है।
- **अनुच्छेद 21 (आजीविका का अधिकार):** सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जीवन के अधिकार के एक अभिन्न पहलू के रूप में व्याख्यायित, जिसके तहत संवेदनशील श्रमिकों के लिए राज्य द्वारा समर्थित सामाजिक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है।
- **वैधानिक गारंटी और बेरोजगारी भत्ता:** राष्ट्रीय रोजगार ढाँचे के तहत कानूनी आदेशों के अनुसार यदि मांग के 15 दिनों के भीतर काम प्रदान नहीं किया जाता है तो बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करना आवश्यक है।
- **सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) प्रावधान:** पारदर्शिता सुनिश्चित करने, रिसाव (leakages) को रोकने और ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के तहत निर्मित परिसंपत्तियों की गुणवत्ता की निगरानी के लिए ग्राम सभाओं द्वारा अनिवार्य समुदाय-नेतृत्व वाली समीक्षा।

निष्कर्ष

VB-G RAM G के तहत ग्रामीण नौकरी सृजन में शुरुआती गिरावट प्रणालीगत नीतिगत बदलाव के दौरान परिचालन संबंधी तनाव को रेखांकित करती है। प्रशासनिक बाधाओं को हल करना, समय पर धन का प्रवाह सुनिश्चित करना और मजदूरी वितरण को स्थिर करना ग्रामीण आजीविका की रक्षा करने और घरेलू आर्थिक मांग को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर II (शासन और कल्याणकारी योजनाएं):** सामाजिक सुरक्षा जालों का संस्थागत पुनर्गठन, अधिकार-आधारित कल्याण वितरण, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) दक्षता, और संघीय योजना कार्यान्वयन।
- **GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था और रोजगार):** ग्रामीण श्रम गतिशीलता, मजदूरी रोजगार बनाम परिसंपत्ति निर्माण, अनौपचारिक क्षेत्र संकट, और कुल ग्रामीण खपत पर प्रभाव।
- **प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) फोकस:** पर्सन-डेज़ की परिभाषा, ग्रामीण रोजगार कानून के तहत वैधानिक जनादेश, ग्राम सभा की सामाजिक अंकेक्षण शक्तियां, और अनुच्छेद 41 के तहत संवैधानिक प्रावधान।

11. आक्रामक प्रजातियों के कारण भारत की पहली मछुआरा-संचालित उन्मूलन पहल शुरू हुई

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **उजानी जलाशय में पारिस्थितिक संकट:** उजानी जलाशय (महाराष्ट्र) को सकरमाउथ आर्मर्ड कैटफिश (*Hypostomus plecostomus*), तिलापिया और अफ्रीकी कैटफिश जैसी आक्रामक विदेशी प्रजातियों (invasive alien species) के कारण गंभीर पारिस्थितिकी तंत्र क्षरण का सामना करना पड़ रहा है, जो अब कुल पकड़ का 97% हिस्सा हैं।
- **सकरमाउथ कैटफिश का दबदबा:** दक्षिण अमेरिका के अमेज़न बेसिन की मूल निवासी और एक्वेरियम व्यापार के माध्यम से लाई गई सकरमाउथ कैटफिश अकेले जलाशय की कुल मछली आबादी का 30-40% हिस्सा है।
- **आजीविका और ढांचागत खतरे:** यह प्रजाति देशी मछलियों के अंडों को खाती है, तल में रहने वाली मछलियों को प्रतिस्पर्धा में पछाड़ देती है, जालों को नुकसान पहुंचाती है, और भीमा नदी के किनारे अपनी गहरी सुरंग बनाने (burrowing) की आदतों के माध्यम से नदी के किनारों और मिट्टी के बांध की दीवारों को नष्ट करती है।
- **समुदाय-नेतृत्व वाला उन्मूलन मॉडल:** बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS) ने भारत की पहली मछुआरा-संचालित उन्मूलन पहल शुरू की, जिसमें भिगवन में एक संग्रह केंद्र स्थापित किया गया जो मछुआरों को बाजार दर से ₹2/किग्रा अधिक देकर आक्रामक मछलियों को पकड़ने और उन्हें जैविक उर्वरक और तेल में संसाधित करने का काम करता है।
- **आर्थिक भरपाई (Economic Offsetting):** 36 टन से अधिक सकरमाउथ कैटफिश को निकाला गया है और तलोदा और रत्नागिरी में प्रसंस्करण मिलों में भेजा गया है, जिससे एक सूक्ष्म अर्थव्यवस्था (micro-economy) बनी है जो 20,000 से अधिक स्थानीय मछली पकड़ने वाले आश्रितों का समर्थन करती है।
- **नीतिगत जनादेश:** विशेषज्ञ घरेलू एक्वेरियम व्यापार की सख्त नियामक निगरानी, विनाशकारी विदेशी प्रजातियों के आयात पर प्रतिबंध, और भारतीय मीठे पानी के निकायों में आक्रामक प्रजातियों के प्रबंधन के लिए निरंतर, दीर्घकालिक वित्तपोषण का आह्वान करते हैं।



आवश्यक परिभाषाएँ

- **आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ (Invasive Alien Species - IAS):** किसी पारिस्थितिक तंत्र में जानबूझकर या अनजाने में लाई गई गैर-देशी प्रजातियाँ जिनका प्रसार स्थानीय जैव विविधता, आर्थिक गतिविधियों या मानव स्वास्थ्य को खतरे में डालता है।
- **जैविक आक्रमण (Biological Invasion):** किसी विदेशी प्रजाति का अनियंत्रित विस्तार और प्रसार जो पारिस्थितिक तंत्र की गतिशीलता, ट्रॉफिक संरचनाओं और देशी प्रजातियों के अस्तित्व को बदल देता है।

- **इको-इन्सेंटिवाइजेशन (Eco-Incentivisation):** एक बाजार-आधारित संरक्षण उपकरण जो स्थानीय समुदायों को पारिस्थितिक खतरों को सक्रिय रूप से हटाने या प्राकृतिक आवासों को बहाल करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 48A (राज्य के नीति निर्देशक तत्व):** राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों, वन्यजीवों और जलीय पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा करने का निर्देश देता है।
- **अनुच्छेद 51A(g) (मौलिक कर्तव्य):** प्रत्येक नागरिक को वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा जीवित प्राणियों के प्रति दयाभाव रखने का आदेश देता है।
- **जैव विविधता अधिनियम, 2002:** धारा 36(2) केंद्र सरकार को पारिस्थितिकी तंत्र, आवासों या देशी प्रजातियों को खतरे में डालने वाली आक्रामक विदेशी प्रजातियों को विनियमित, प्रबंधित या नियंत्रित करने का अधिकार देती है।
- **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972:** धारा 62 के तहत प्रावधान और हालिया संशोधन वन्यजीव अधिकारियों को पारिस्थितिक खतरा पैदा करने वाली गैर-देशी आक्रामक प्रजातियों को घोषित और विनियमित करने का अधिकार देते हैं।

निष्कर्ष

उजानी जलाशय में BNHS के नेतृत्व वाली पहल यह दर्शाती है कि कैसे समुदाय-केंद्रित इको-इन्सेंटिवाइजेशन स्थानीय आजीविका की रक्षा करते हुए आक्रामक विदेशी प्रजातियों से प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकती है। वाणिज्यिक एक्वेरियम व्यापार के सख्त कानूनी नियमन द्वारा समर्थित, क्षतिग्रस्त अंतर्देशीय जल निकायों में इस मॉडल को दोहराना भारत की मीठे पानी की जलीय जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर III (पर्यावरण एवं जैव विविधता):** जलीय जैव विविधता के लिए खतरे, जैविक आक्रमण, मीठे पानी के निकायों का पारिस्थितिक क्षरण, और समुदाय-आधारित संरक्षण मॉडल।
- **GS पेपर III (अर्थशास्त्र और आजीविका):** अंतर्देशीय मत्स्य पालन प्रबंधन, इको-इन्सेंटिवाइजेशन मॉडल, और ग्रामीण आजीविका पर पारिस्थितिक क्षरण का आर्थिक प्रभाव।
- **प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) फोकस:** सकरमाउथ कैटफिश (*Hypostomus plecostomus*) की विशेषताएं, BNHS का जनादेश, आक्रामक प्रजातियों के संबंध में जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधान, और उजानी जलाशय (भीमा नदी) की भौगोलिक स्थिति।

12. वित्तीय साक्ष्य पर विधेयक: महत्वपूर्ण ओवरहाल, लेकिन चिंताएं बनी हुई हैं

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- वैधानिक ओवरहाल:** डिजिटल बैंकिंग संचालन के साथ वित्तीय साक्ष्य ढाँचे को संरेखित करने के लिए लोकसभा ने 135 साल पुराने औपनिवेशिक बैंकर्स पुस्तक साक्ष्य अधिनियम, 1891 के स्थान पर 'बैंकर्स पुस्तक साक्ष्य विधेयक, 2026' पारित किया।
- बैंकर्स पुस्तकों का विस्तृत दायरा:** यह विधान इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, ऑफसाइट, वर्चुअल और क्लाउड-स्टोर किए गए बैंक रिकॉर्ड को कवर करने के लिए परिभाषाओं का विस्तार करता है।
- मानकीकृत स्वीकार्यता प्रोटोकॉल:** यह विधेयक अदालत में डिजिटल अर्क (digital extracts) प्रस्तुत करने के लिए एक समान प्रमाण पत्र प्रारूप और अंडरटेकिंग स्थापित करता है, जिससे बैंक अधिकारियों को भौतिक बहीखाता पेश करने या गवाह के रूप में पेश होने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
- विशेष कारण निरीक्षणों पर स्पष्टता:** 2026 का विधेयक स्पष्ट रूप से "विशेष कारण" (special cause) को उन मामलों के रूप में परिभाषित करता है जहाँ रिकॉर्ड की सटीकता संदिग्ध है, नियमित रिकॉर्ड-कीपिंग बाधित होती है, या कोई बैंक निरीक्षण आदेशों की अवज्ञा करता है।
- जांच शक्तियां बरकरार रखी गईं:** धारा 11 स्पष्ट करती है कि जांच के लिए बैंक रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने वाले अदालती आदेशों को पुलिस अधीक्षक (SP) के पद से नीचे के अधिकारी का आदेश माना जा सकता है।
- गोपनीयता और सत्यापन पर चिंताएं:** कानूनी विशेषज्ञ लापता क्रिप्टोग्राफिक सत्यापन सुरक्षा उपायों (जैसे हैश मान) और पुलिस जांच के दौरान डेटा लीक होने के बढ़ते जोखिमों की ओर इशारा करते हैं।

आवश्यक परिभाषाएँ

- बैंकर्स पुस्तकें (Bankers' Books):** कानूनी शब्द जिसमें व्यवसाय के सामान्य क्रम में बैंकिंग संस्थानों द्वारा बनाए गए बहीखाते (ledgers), डे-बुक्स, कैश-बुक्स और सभी भौतिक या डिजिटल रिकॉर्ड शामिल हैं।
- प्रमाणित प्रति (Certified Copy):** न्यायिक निकायों के समक्ष प्रामाणिकता की गारंटी देने के लिए आवश्यक अंडरटेकिंग के साथ एक अधिकृत अधिकारी द्वारा मान्य एक आधिकारिक अंश या रिकॉर्ड का पुनरुत्पादन।
- हैश वैल्यू (Hash Value):** एक क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथ्म द्वारा निर्मित एक अनूठी डिजिटल स्ट्रिंग जो एक डिजिटल फिंगरप्रिंट के रूप में कार्य करती है ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइल में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- अनुच्छेद 21 (निजता का अधिकार):** आपराधिक जांच और कानूनी कार्यवाही के दौरान अनधिकृत पहुंच या लीक के खिलाफ संवेदनशील वित्तीय डेटा की रक्षा करने के लिए एक संवैधानिक दायित्व लागू करता है।
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA):** साक्ष्य पर आधुनिक प्राथमिक कानून जो भारतीय अदालतों में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकार्यता, प्रमाणीकरण और सत्यापन को नियंत्रित करता है।
- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023:** डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण को विनियमित करता है, डेटा संग्रह और साझाकरण के दौरान डेटा फिडुशियरी के लिए वैधानिक मानक स्थापित करता है।

• LAW Bill on financial evidence: Critical overhaul, but concerns remain

What this does The bill seeks to amend the Bankers' Books Evidence Act, 1891, which allows courts to compel banks to produce their records in legal cases. It introduces digital evidence, updates definitions of "bankers' books," and clarifies the scope of records that must be provided. It also addresses the need for a secure and reliable method of producing digital evidence, such as through a "certified copy" or a "hash value."

Changing with the times The bill introduces a "special cause" provision, which allows a court to order a bank to produce records if it is satisfied that the records are likely to be relevant to the case. This is a significant change from the current law, which requires a higher threshold of proof.

Concerns over privacy The bill also introduces a provision that allows a court to order a bank to produce records if it is satisfied that the records are likely to be relevant to the case. This is a significant change from the current law, which requires a higher threshold of proof.

Addressing opportunities The bill also introduces a provision that allows a court to order a bank to produce records if it is satisfied that the records are likely to be relevant to the case. This is a significant change from the current law, which requires a higher threshold of proof.

- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (धारा 65B ढांचा):** न्यायिक कार्यवाही में प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के लिए प्रमाणीकरण शर्तों और प्रमाण पत्र आवश्यकताओं को स्थापित करने वाली कानूनी मिसाल।

निष्कर्ष

बैंकर्स पुस्तक साक्ष्य विधेयक, 2026 क्लाउड और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देकर वित्तीय मुकदमेबाजी का आधुनिकीकरण करता है। हालांकि, साक्ष्य संबंधी अखंडता को बनाए रखने और संवैधानिक निजता अधिकारों की रक्षा के लिए क्रिप्टोग्राफिक हैश सत्यापन और सख्त डेटा गोपनीयता सुरक्षा जैसे मजबूत तकनीकी सुरक्षा उपायों को शामिल करना आवश्यक है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर II (शासन और राजव्यवस्था):** वैधानिक सुधार, औपनिवेशिक कानूनों का आधुनिकीकरण, डिजिटल शासन, आपराधिक प्रक्रिया में प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय, और अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार।
- **GS पेपर III (साइबर सुरक्षा और वित्तीय ढांचा):** डिजिटल अर्थव्यवस्था ढांचा, साइबर अपराधों और वित्तीय धोखाधड़ी में साक्ष्य संबंधी चुनौतियां, और डेटा सुरक्षा ढांचा।
- **प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) फोकस:** 1891 अधिनियम और 2026 विधेयक के बीच अंतर, "बैंकर्स पुस्तकों" का दायरा, धारा 11 SP-रैंक की शक्तियां, भारतीय साक्ष्य अधिनियम डिजिटल साक्ष्य नियम, और हैश मान की अवधारणाएं।

13. वैज्ञानिक अब AI से प्रोटीन को छोटा कर सकते हैं और फिर से लिख सकते हैं

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **प्रोटीन इंजीनियरिंग में AI की सफलता:** ड्यूक यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने 'रेगन' (Raygun) नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रणाली विकसित की है जो प्रोटीन संरचनाओं को छोटा, बड़ा और बड़े पैमाने पर पुनर्लेखित कर सकती है।
- **वायरल वेक्टर क्षमता सीमाओं को पार करना:** जीन थेरेपी चिकित्सीय जीन (therapeutic genes) देने के लिए वायरल कैप्सिड्स पर निर्भर करती है, लेकिन इन कैप्सिड्स की सख्त आकार सीमाएं होती हैं। बड़े आकार के प्रोटीन को छोटा करने से वे मानक वितरण वेक्टर के भीतर फिट हो जाते हैं।
- **प्रोटीन भाषा मॉडलिंग (Protein Language Modeling):** एमिनो एसिड अनुक्रमों को 20-अक्षरों की वर्णमाला में एन्कोड किए गए जैविक "वाक्यों" के रूप में मानते हुए, प्रोटीन भाषा मॉडल लाखों प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अनुक्रमों में संरचनात्मक व्याकरण सीखते हैं।
- **फिक्स्ड-रिजॉल्यूशन कम्प्रेसन:** 'रेगन' लक्षित एमिनो एसिड अनुक्रमों को एक समान कम्प्यूटेशनल ब्लॉकों में विभाजित करता है, जो सेकंड के भीतर निर्दिष्ट लंबाई पर कार्यात्मक अनुक्रम भिन्न उत्पन्न करने के लिए संरचनात्मक अनिवार्यताओं को निकालता है।

- **वाणिज्यिक और पहुंच संबंधी प्रभाव:** छोटे प्रोटीन आयामों को सक्षम करने से हेमजेनिक्स (Hemgenix), कैसगेवी (Casgevy), और जोलगेन्समा (Zolgensma) जैसी महंगी जीन थेरेपी के निर्माण की जटिलता और लागत कम हो जाती है।
- **द्वि-उपयोग (Dual-Use) जैव-सुरक्षा शासन:** यह तकनीक द्वि-उपयोग जैव-सुरक्षा जोखिम प्रस्तुत करती है, क्योंकि प्रोटीन रिडिजाइन मॉडल सैद्धांतिक रूप से हानिकारक या अनियंत्रित जैविक विषाक्त पदार्थ (toxins) उत्पन्न कर सकते हैं।

आवश्यक परिभाषाएँ

- **प्रोटीन लैंग्वेज मॉडल (pLM):** विशाल जैविक अनुक्रम डेटाबेस पर प्रशिक्षित एक मशीन लर्निंग मॉडल जो प्रोटीन के विकासवादी पैटर्न, संरचनात्मक बाधाओं और कार्यात्मक व्याकरण को सीखता है।
- **एडिनो-एसोसिएटेड वायरस (AAV) वेक्टर:** जीन थेरेपी में लक्षित मानव कोशिकाओं में कार्यात्मक जीन पहुंचाने के लिए वितरण वाहन के रूप में उपयोग किया जाने वाला एक गैर-रोगजनक वायरल शेल।
- **बायोडीजाइन के लिए जिम्मेदार AI:** एआई-संचालित जैविक डिजाइन से जुड़े जैव-सुरक्षा जोखिमों को कम करने के लिए नैतिक दिशानिर्देश और सुरक्षा प्रोटोकॉल स्थापित करने वाला एक अंतरराष्ट्रीय ढांचा।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **राष्ट्रीय जैव नीतिशास्त्र नीति और ICMR दिशानिर्देश:** भारत भर में मानव जीन थेरेपी अनुसंधान, बायोमेडिकल नवाचार और नैदानिक परीक्षणों (clinical trials) में नैतिक मानकों को विनियमित करता है।
- **जैविक हथियार सम्मेलन (BWC), 1972:** गैर-शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए जैविक एजेंटों या विषाक्त पदार्थों के विकास, उत्पादन और भंडारण को प्रतिबंधित करने वाली बहुपक्षीय निशस्त्रीकरण संधि।
- **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (नियम 1989):** भारत में आनुवंशिक रूप से इंजीनियर सूक्ष्म जीवों या जीवों से जुड़े निर्माण, आयात, उपयोग और अनुसंधान को नियंत्रित करता है।
- **औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स, 2019):** उन्नत बायोफार्मास्युटिकल्स और जीन थेरेपी उत्पादों के लिए नियामक स्वीकृतियों, गुणवत्ता मानकों और सुरक्षा परीक्षणों को विनियमित करता है।

Duke scientists create an AI Raygun that shrinks, expands, and rewrites proteins

AI tool Raygun reshapes proteins by shrinking or expanding them while preserving function, opening new paths for medicine and research.



निष्कर्ष

AI-संचालित प्रोटीन कम्प्रेसन वेक्टर डिलीवरी की बाधाओं को हल करके जीन थेरेपी के लिए परिवर्तनकारी रास्ते खोलता है। 'बायोडीजाइन के लिए जिम्मेदार AI' जैसे स्वैच्छिक ढाँचों के माध्यम से मजबूत अंतरराष्ट्रीय जैव-सुरक्षा शासन स्थापित करना यह सुनिश्चित करता है कि उन्नत जैविक डिजाइन तकनीकें संभावित द्वि-उपयोग जोखिमों को कम करते हुए सुरक्षित, सस्ती चिकित्सीय लाभ प्रदान करें।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी):** जैव प्रौद्योगिकी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), जीन थेरेपी तंत्र, पुनःसंयोजक (recombinant) डीएनए प्रौद्योगिकियां, और संरचनात्मक जीव विज्ञान नवाचार।

- **GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन):** जैव-सुरक्षा खतरे, द्वि-उपयोग प्रौद्योगिकियां, और जैविक सामग्रियों को नियंत्रित करने वाले अंतरराष्ट्रीय तंत्र।
- **प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) फोकस:** वायरल वैक्टर (AAV) की अवधारणाएं, प्रोटीन निर्माण खंडों के रूप में एमिनो एसिड, जैविक भाषा मॉडलिंग, और भारत में जीन थेरेपी को नियंत्रित करने वाले नियामक प्रावधान।

